

## कार्यालय आदेश


प्रायः देखने में आया है कि विभाग के कई अधिकारी/कर्मचारी अवकाश व्यतीत करने उपरान्त अवकाश हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आवेदन पत्र भी नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। विभाग द्वारा समय-समय पर इनसे सम्बन्धित निर्देश जारी करने के बाद भी अधिकारी/कर्मचारी नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत नहीं करते। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 दिनांक 19-07-2016 से लागू कर दिये गये हैं। अतः सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने आवेदन इन नियमों अनुसार करेंगे। हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 वित्त विभाग हरियाणा की website [www.finhry.gov.in](http://www.finhry.gov.in) पर उपलब्ध हैं। भविष्य में आवेदन पत्र नियमानुसार प्रस्तुत न करने पर आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा एवं पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जाएगा।

दिनांक पंचकूला  
1 सितम्बर, 2016

जगबीर सिंह,  
निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय  
विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक अ0सां0वि0वि0(स्था-9)-2016/19277-19371 दिनांक : 07-09-2016  
इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इस बारे अवगत करने हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक I/II
2. संयुक्त निदेशक I/II
3. आदान तथा वितरण अधिकारी
4. सभी उप निदेशक
5. सभी अनुसंधान अधिकारी
6. सभी जिला सांख्यान अधिकारी/योजना अधिकारी
7. अनुसंधान अधिकारी (आई0टी0) विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
8. लेखा अधिकारी
9. उप अधीक्षक-I
10. निजी सहायक (निदेशक)
11. सभी सहायक

  
उप निदेशक (प्रशा0)  
कृते: निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय  
विश्लेषण विभाग, हरियाणा